न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 128 / 2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1केसूडी पत्नी स्व. किशन जाति जाट निवासी दियावडी तहसील मुण्डवा। 2परमा देवी पुत्री स्व. किशन जाति जाट निवासी कालीयास तहसील मुण्डवा। 3श्रीमती रतन देवी पुत्री स्व. किशन पत्नी कैलाशराम जाट निवासी आसोप तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।		1श्रीमती संतोष कथित पत्नी स्व. प्रकाश जाति जाट (संन्यासी) निवासी कबीर आश्रम, सोयला तहसील बावडी जिला जोधपुर। 2तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.10.2021

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा ग्राम दियावडी के नामान्तरकरण सं. 756 निर्णय दिनांक 09.06.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.08.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 29.08.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 756 दिनांक 09.06.2015 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी खींवसर के द्वारा जारी विधानसभा नामावली वर्ष 1995 भाग सं. 117 की नकल, मतदाता पहचान पत्र वर्ष 2011 की नकल, निर्वाचक नामावली वर्ष 2017 की नकल एवं आयु प्रमाण पत्र जो सरपंच के द्वारा दिनांक 18.05.2004 को जारी किया गया उसकी फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 संतोष स्व. श्रीकिशन की उतराधिकारी नही है और न ही उसका स्व. श्री किशन की चल व अचल सम्पति मे कोई हक व हिस्सा है। रेस्पो. सं. 1 संतोष पिछले 25 वर्ष से संन्यासी है और ग्राम सोयला तहसील बावडी जिला जोधपुर मे स्थित कबीर आश्रम मे संन्यासी के रूप मे निवास कर रही है और स्थायी रूप से वहां रहकर भजन कीर्तन कर रही है। उसका अपीलांट की जमीन जायदाद हडपने के लिये रेस्पो. सं. 1 के रिश्तेदारो ग्राम पंचायत सेनणी के सरपंच ने रेस्पो. सं. 2 को स्व. श्री किशन के पुत्र स्व. प्रकाश की पत्नी बताते हुए रेस्पो. सं. 1 का नाम भी स्व. श्रीकिशन की उतराधिकारी व उनकी पुत्रवधु होना बताते हुए दर्ज करवा कर नामान्तरकरण सं. 756 दिनांक 09.06.15 को स्वीकृत करवा लिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को पटवारी से मिलने पर दिनांक 01.08.16 को हुई तब अपीलांट सं. 2 के पति के माध्यम से पता करवाया व नामान्तरकरण की नकल के लिये भी आवेदन पेश किया तब नकल प्राप्त हुई। तब दूसरे दिन नागौर

अपर कलेक्टर, नागौर

आई व अपील तैयार करवा कर नामान्तरकरण सं. 756 ग्राम दियावडी तहसील मुण्डवा के स्वीकृति आदेश दिनांक 09.06.15 के विरूद्व अपील पेश की। इस प्रकार अपीलांट व्यथित पक्षकार है और प्रथम बार जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद है। जिसे अंदर मयाद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 756 ग्राम दियावडी को स्वीकार करने का आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया होने के कारण अवैध है।

{2}(II)–धारा 135(1) राज भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नामान्तरकरण स्वीकार करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्व. श्रीकिशन के देहान्त के वक्त संबंधित ग्राम पंचायत सेनणी अस्तित्व मे थी। इसलिये स्व. श्रीकिशन के उतराधिकारियो के नाम पटवारी द्वारा नामान्तरकरण भरकर व भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाकर स्वीकृति के लिये संबंधित ग्राम पंचायत सेनणी के समक्ष स्वीकृति के लिये पेश करना चाहिये था और संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर 45 दिन तक कोई निर्णय पारित नही करने पर ही संबंधित तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष उक्त नामान्तरकरण पर निर्णय हेतु पेश करना चाहिये था। मगर इस प्रकरण मे पटवारी ने धारा 135(1) राज भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अधिकार क्षेत्र रखने वाली ग्राम पंचायत सेनणी को उक्त नामान्तरकरण सं. 756 पर निर्णय पारित करने हेतु पेश ही नही किया गया। बल्कि नामान्तरकरण भरकर सीधा तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष पेश किया, जिन्होने उसी दिन उक्त नामान्तरकरण को बिना किसी जांच किये स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार मुण्डवा को धारा 135(1) राज भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करने के पश्चात 45 दिन से पूर्व निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र नही है। इसलिये नामान्तरकरण स्वीकृति का आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध व शून्य है।

{2}(III)–स्व. श्रीकिशन के देहान्त के पश्चात उनके विधिक उतराधिकारी अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पो. सं. 1 को स्व. श्रीकिशन की पुत्रवधु मानकर उनकी उतराधिकारी बताते हुए नामान्तरकरण जैर अपील मे अपीलांट के साथ उसका भी नाम शामिल कर दिया, जबकि तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष रेस्पो. सं. 1 स्व. श्रीकिशन के पुत्र प्रकाश की पुत्रवधु होने, ग्राम दियावडी मे निवास करने तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने की कोई साक्ष्य व सबूत पेश नही किया गया था और न ही तहसीलदार ने रेस्पो. सं. 1 स्व. श्रीकिशन की उतराधिकारी होने के बारे मे कोई जांच की, इसलिये नामान्तरकरण स्वीकृति का आदेश जैर अपील बिना किसी आधार व जांच के पारित किया गया होने के कारण व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी पीठ पीछे भरकर स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया होने के कारण अवैध व शून्य है।

{2}(IV)–तहसीलदार मुण्डवा को नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान उतराधिकार के विवादस्पद बिन्दु को तय करने का अधिकार नही है और जब तक रेस्पो. सं. 1 अपने आप को सक्षम न्यायालय से स्व. श्रीकिशन की उतराधिकारी घोषित नही करवा लेती, तब तक उसे स्व. श्रीकिशन की उतराधिकारी माना जा सकता है और न ही उसके नाम स्व. श्रीकिशन की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार करके खतोनी मे उसे बतोर सह खातेदार दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार तहसीलदार मुण्डवा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी प्रकार की जांच किये नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने का आदेश दिनांक 9.6.15 पारित करने मे भारी कानूनी व वाकियाति भूल की है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे (9) 2002 पेज 108 से 110, आरआरटी 2002(1) पेज 77 से 79 तथा आरआरडी 2002 पेज 338 से 340 नजीरे प्रस्तुत की है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 संतोष अपीलांट की पुत्रवधू है। जिसका नाम निर्वाचक नामावली 1995 के क्रम सं. 383 भाग सं. 117 के क्रमांक 469 पर अंकित है। वर्ष 2008 के राशन कार्ड मे भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम अंकित है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण विधि सम्मत भरा जाने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}—राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम दियावडी का नामान्तरकरण सं. 756 दिनांक 09.06.2015 जारी किया गया। जो उतराधिकार के आधार पर जारी किया गया है। नामान्तरकरण विधि सम्मत है।

{5}—उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा दियावडी का नामान्तरकरण सं. 756 दिनांक 09.06.2015 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण मे उतराधिकार के विवादास्पद बिन्दु को तय करने का अधिकार नही है और जब तक रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपने आप को सक्षम न्यायालय से स्व. श्रीकिशन की उतराधिकारी घोषित नही करवा लेती, तब तक उसे स्व. श्रीकिशन का उतराधिकारी नही माना जा सकता तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी नही दिया। नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया का पालन के भरा गया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{6}— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर अपीलांट को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{7}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर